(वाद संख्या–5581/15)

16.09.2019

परिवादीगण, इस्लाम अंसारी व अन्य की ओर से दायर परिवाद के संबंध में नोटिस दिये जाने के बावजूद परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं।

मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैः–

दिनांक 15.11.2015 को पश्चिमी चम्पारण, बेतिया जिला के योगापट्टी थानातंर्गत ग्राम अमैठिया में ''महापर्व छठ'' के अवसर पर हिन्दू सम्प्रदाय के लोग मिट्टी भरवाकर, मस्जिद के सामने, सड़क को समतल कर रहे थे। इसी बात को लेकर गाँव में अफवाह फैला दी गयी तथा उक्त अफवाह पर हिन्दू सम्प्रदाय व मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया तथा दोनों ओर से ईंट–पत्थर चलने लगे जिसमें दोनों सम्प्रदाय के कुछ लोग जख्मी हो गए। बाद में पुलिस द्वारा स्थल पर पहुंच कर मामले को शांत कराया गया। उक्त घटना को लेकर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा हिन्दु सम्प्रदाय लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 324, 337, 338, 427, 379, 153(क), 295, 295 (क),298, 504 के अंतर्गत (1) योगापट्टी थाना कांड संख्या 360/15, दिनांक 15.11.2015 तथा भा0द0स0 की धाराओं 147, 149, 448, 380, 427, 504 के अंतर्गत (2) योगापट्टी थाना कांड संख्या 361/15, दिनांक 15.11.2015 संस्थित किया गया, जबकि हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों द्वारा मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 147, 148, 149, 323, 324, 337, 338, 153(क), 295, 295(क), 298, 504, 506 व अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत योगापट्टी थाना कांड संख्या 362/15, दिनांक 15.11.2015 संस्थित किया गया। इसी तरह पुलिस द्वारा भी हिन्दू सम्प्रदाय व मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 147, 148, 149,323, 324, 307, 353, 337, 338, 333, 153(क), 295, 295(क), 298, 504 के अंतर्गत योगापट्टी थाना कांड संख्या 359/15, दिनांक 15.11.2015 संस्थित किया गया।

परिवादीगण का कथन है कि मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को गलत रूप से योगापट्टी थाना कांड संख्या 359/15 व 362/15 में अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि उनलोगों का उक्त दोनों कांड में कोई संलिप्तता नहीं थी। उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योगापट्टी थाना कांड संख्या 359/15 व 362/15

के सभी प्राथमिकी अभियुक्तों व अन्य अज्ञात (दोनों सम्प्रदायों) के विरूद्ध उनके संलिप्तता को अनुंसधान के क्रम में सत्य पाया गया है तथा उपरोक्त दोनों मामला वर्तमान में अन्वेषणाधीन है।

परिवादीगण का पुलिस प्रतिवेदन के प्रतिउत्तर में कथन है कि पुलिस द्वारा दुराशयपूर्ण भावना से मिथ्या प्रतिवेदन आयोग के समक्ष समर्पित किया गया है।

आज परिवादीगण को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन परिवादीगण में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तुत मामला एक घटना को लेकर संस्थित चार आपराधिक मामलों में से दो आपराधिक मामलों के अनुसंधान से संबंधित है। पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन घटना में हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों के साथ–साथ परिवादी सहित मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की भी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा परिवादीगण सहित अभियुक्त बनाये गये कोई भी व्यक्ति अपने दोषारोपण के सम्बन्ध में न्यायालय से विधिनुसार अनुरोध कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के स्तर से प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**

<u>सहायक निबंधक</u>